





आदेश	कार्यवाही विवरण 80/2009 विशेषतः श्री कान्त लक्ष्मीवार [136L.P.A.]	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
14.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाब चन्द सैनी, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, भागाशाह कार्ड, शपथ पत्र विश्वेश्वर लाल सैनी, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम गुलाबचन्द है तथा गुलाराम एवं गुलाबचन्द दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 172, 909 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम गुलाराम पुत्र नारायण के बजाय गुलाबचन्द पुत्र नारायण दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> </div>	